	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019 *Bhadra 4, Monday, Saka 1941–August 26, 2019*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2019

संख्या प.2(37)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 24)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 2005 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2005 के अधिनियम सं. 1 में नयी धारा 11क का अंत:स्थापन.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) की विद्यमान धारा 11 के पश्चात् और विद्यमान धारा 12 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"11क. कुलपति का हटाया जाना.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 21, 2019

No. F. 2(37)Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Svasthya Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 24):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2019

(Act No. 24 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 20th day of August, 2019)

An
Act

further to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 11A, Act No. 1 of 2005.- After the existing section 11 and before the existing section 12 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No.1 of 2005), the following new section shall be inserted, namely :-

"11A. Removal of Vice-Chancellor.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time, on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending inquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency, or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.".

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।